


श्री मानू कृष्य महादेव राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर कम्प रोवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्र० / 2013

598
7-10-13



प्रधिवक्ता श्री नीरय
हिबदी ठाण जल
रीवा, दि-7-10-13

आ. 8
ग्यालियर
रिवा

- 1- मागोरथी तनय जयकरण जैसवाल
- 2- कुंजविहारी तनय मंगल प्रसाद
- 3- राधेश्याम तनय मंगल प्रसाद
- 4- आशा पिता मंगल प्रसाद
- 5- निराशा पितामंगल प्रसाद
- 6- नारायण देवपिता मंगल प्रसाद
- 7- पूधुम्न राम तनयरामलाल
- 8- रामप्रसाद पिता रामलाल
- 9- बुटली पिता रामलाल
- 10- राजाराम पिता रामलाल
- 11- लहनधारी तनय माफर
- 12- रामलाल तनय दुलारे स्त्री घोघरा सरई तहसील देवसर जिला
सिराही म०प्र० ----- निगरानी प्रकरण

विरुद्ध

- 1- मोहनलाल तनय सम्पति सिंह गोड
- 2- लखपती सिंह तनय सम्पति सिंह गोड
- 3- मंगलजी सिंह तनय सम्पति सिंह गोड
- 4- लखवानतनय सम्पति सिंह गोड

साथे आरवा, तहो देवसर जिला सिराही म०प्र०

(Handwritten signature)

- 5- मुस० सुवर निवापत्नी देवदत्त
 - 6- हरिहरतनय देवदत्त सा० सरई
 - 7- वंशपती तनय सुरजसा० ठा सरई
 - 8- रामानुज तनय मागीरधी
 - 9- रामलल्लू तनयमागीरधी
 - 10- गलारे. पिता मागीरधी
 - 11- मोहर तनय राममरोष्ठा
 - 12- हीरालाल तनय बोखई
 - 13- सूर्यलाल तनय जोखई
 - 14- लालमडितनय बोखई समीसा० सरई, तह० देवसर जिला सिसरीली
- म०प्र० ----- आवेदकगण

निरानिविहद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय
सरई के राजस्व प्रकरण क्र० 181/अ6अ/20-13
में पारित आदेश दिनांक 18-9-13 को पारित
किया गया, जिसके द्वारा 58-59 के रयत पट्टेदारों
के नाम राजस्व अखिले सुभरवाने का आदेश दिया गया

निरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराजस्व
संहिता सन 1959 ई०

मान्यवर,
प्रकरण का संपिप्त विवरण इस प्रकार है कि 58-59
विवादित भूमियां 67-66ए० स्थित ग्राम सरई के 1/4 हिस्से का 18ए०
हिस्सा होता है। जिसके संबंध में धारा 170:स:के तहत आवेदनपत्र
प्रस्तुत किया गया तथा निरानी प्रकरण क्र० 2/अ-23/1999-2000
के निराकरण जो अपर आयुक्त रीवा समाग, रीवा के न्यायालय में दायर

(17)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृ-अ

प्रकरण क्रमांक R.4396-तीठ/13 जिला-सिगरोली

मागीरपी जे तवाल वीरुद्ध मोहनलाल सिंह गोड

(2)

(1)

19-12-18 -

1. आवेदक की ओर से श्री रामानुज शुकला अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ वक्ता तहसीलदार/ राजस्व विभागाध्यक्ष, तहसील सरई के प्रकरण क्रमांक 181/46A/12-13 में पारित आदेश दिनांक 18-9-13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिगरोली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14-3-19 को कलेक्टर सिगरोली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य